# कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़

(वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर–492002)

## –:: आदेश ::–

नवा रायपुर दिनांक 18 जून, 2026

कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता बस्तर छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/आब./अप./2026/526 दिनांक 17.06.2026 के प्रतिवेदन अनुसार कम्पोजिट मदिरा दुकान दुर्गकोंदल, जिला–कांकेर में आकस्मिक निरीक्षण कम्पोजिट मदिरा दुकान दुर्गकोंदल में टेस्ट परर्चेसर मुकेश गावड़े के माध्यम से एक नग बीयर की खरीदी करवाने पर पाया गया, कि मदिरा दुकान के विक्रयकर्ता सतीश साहू द्वार एक नग ''गॉड फादर लीजेन्ट्री स्ट्रांग बीयर'' को शासन द्वारा निर्धारित दर 210/– रूपये से 10/– रूपये अधिक दर में विक्रय किया गया। अतः गवाहों के समक्ष विधिवत कार्यवाही करते हुए विवेचक श्री देवेन्द्र पटेल, सहायक आबकारी उपनिरीक्षक के द्वारा विक्रयकर्ता सतीश साहू के विरूद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा 39 (ग) के तहत् संभागीय उड़नदस्ता बस्तर के द्वारा पी–8 कमांक 19/2026–27 दिनांक 17.06.2026 अतंर्गत अधिक दर पर मदिरा विक्रय का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

2/ उक्त प्रकरण **श्री ओम प्रकाश, आबकारी उप निरीक्षक** वृत्त प्रभारी भानुप्रतापपुर के प्रभार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उनके प्रभार क्षेत्र में इस प्रकार की गंभीर श्रेणी की अनियमितता का पाया जाना उनके कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं शिथिल नियंत्रण का परिचायक है जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के सर्वथा प्रतिकूल एवं दंडनीय है।

3/ अतः **श्री ओम प्रकाश, आबकारी उप निरीक्षक** को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

4/ निलंबन काल में **श्री ओम प्रकाश, आबकारी उप निरीक्षक** का मुख्यालय, कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता बस्तर संभाग, बस्तर (छ.ग.) रहेगा तथा निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

18/6/26

**आबकारी आयुक्त**
छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक / आब. / अपराध / 2026 / 4789 नवा रायपुर दिनांक 18 **जून, 2026**

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर (आबकारी), जिला—कांकेर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, बस्तर संभाग, बस्तर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला आबकारी अधिकारी, जिला—कांकेर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कोषालय अधिकारी, जिला—कोषालय, जिला—बस्तर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. श्री ओम प्रकाश साहू, आबकारी उप निरीक्षक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला—कांकेर (छ.ग.) की ओर पालनार्थ प्रेषित।
8. कार्यालय प्रति।

18/6/26

**आबकारी आयुक्त**

छत्तीसगढ़